



संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा) / A15-98 / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 11 जुलाई, 2023

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-2571 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
गैट ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम-मुन्डिया-अनी, पोस्ट व तहसील-बाजपुर, उधमसिंहनगर।	बी0एससी0 नर्सिंग	55	2021-22

(1) प्राप्ति राशि के मानक पूर्ण नहीं है। यद्यपि प्राप्ति राशि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर कार्रवाई गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राप्ति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक शासनादेश निर्गत किया जाता है, तब तक संस्थानों से पूर्व से नियत प्राप्ति धनराशि जमा कराई जाय और साथ में प्राप्ति हेतु लिया जा रहा शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जाय।

(2) फ़ैकल्टी मानकानुसार पूर्ण नहीं है (इस सम्बन्ध में यह कि यू0जी0सी0 विनियम 2009 के नियम 3.4.7 के अर्न्तगत सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर संस्थान में नियुक्त फ़ैकल्टी का विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है तथा फ़ैकल्टी में सभी परिवर्तनों जो विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की शर्त की पूर्णता को प्रभावित करता हो, विश्वविद्यालय को सूचित करना आवश्यक है।) तत्क्रम में अग्रेत्तर शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान में मानकानुसार फ़ैकल्टी सम्बन्धी सभी परिवर्तनों एवं कमियों को पूर्ण करा लिया जाय। जिसकी सूचना इस सचिवालय को भी उपलब्ध कराई जाये।

(3) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा विश्वविद्यालय तदसम्बन्धी आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(4) अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(5) विश्वविद्यालय नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन नवीन अस्थायी सम्बद्धता के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

Signed by Ravinath Raman

Date: 11-07-2023 18:06:25

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 452 (1)/जी०एस० (शिक्षा)/A15-98/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
—/—

(स्वाति एस० भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।